सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री अरुण चतुर्वेदी
सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री
राजस्थान सरकार

श्रीमती वसुंधरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व
वक्फ बोर्ड मंत्री
राजस्थान सरकार

हमारा प्रयास सबका साथ सबका विकास

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 6.41 करोड़ है। अल्पसख्यंक समुदाय की जनसंख्या लगभग 11.41 प्रतिशत अर्थात 78.19 लाख है, जिसमें मुस्लिम 62.15 लाख, सिक्ख 8.73 लाख, जैन 6.62 लाख, ईसाई 0.96 लाख एवं बौद्ध 0.12 लाख है। अल्पसख्यंक समुदाय के चहुँमुखी विकास एवं उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के क्षेत्रों में त्वरित गति से कार्य कराए जाने, उनकी निगरानी तथा अल्पसख्यकों की समस्याओं व शिकायतों के निदान हेतु केन्द्र सरकार की तर्ज पर अल्पसख्यंक मामलात विभाग की स्थापना वर्ष 2009-10 में की गई।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग के पैनअम्ब्रेला के अन्तर्गत राजस्थान मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम, वक्फ विकास परिषद तथा हज कमेटी कार्यरत हैं।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग के गठन के पश्चात् दिसम्बर, 2013 में राज्य को **माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का नेतृत्व मिला** और विभाग नई ऊर्जा व सोच के साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार प्रयासरत है।

अल्पसख्यंक मामलात विभाग द्वारा निम्न प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कार्य किए जा रहे हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति :-

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए कक्षा 11 से पी.एच.डी. स्तर तथा आई.टी.आई./आई.टी.सी. (Affiliated with NCVT) हेतु अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक (Post Matric) छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन एंव मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा गत परीक्षा में प्राप्तांक 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2013-14 में 33259 व 2014-15 में 43233 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को क्रमशः राशि रुपये 22.50 करोड़ एवं 29.90 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है।

मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति :-

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (नवीन एंव नवीनीकरण) हेतु प्रति वर्ष निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

मैरिट कम मीन्स योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को व्यावसायिक एंव तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा गत परीक्षा में प्राप्तांक 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2013-14 में 2769 व 2014-15 में 4150 छात्र-छात्राओं को क्रमश: राशि रुपये 6.93 करोड़ तथा राशि रुपये 11.04 करोड़ मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है।

वर्ष 2014-15 से भारत सरकार के स्तर से ही डीबीटी योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति राशि बैंक खातों में सीधे ही जारी की जा रही है।

अनुप्रति :- राज्य प्रवर्तित योजनान्तर्गत राजस्थान मूल के अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने पर विभिन्न चरणों में आगे की तैयारी के लिए सहायता राशि दी जाती है।

योजनान्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर उतीर्ण होने, IIT'S, IIM'S व राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों इत्यादि शीर्ष शिक्षण संस्थानों में प्रवेश तथा 10-12 स्कीम के अन्तर्गत 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

अल्पसख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए अनुप्रति योजनान्तर्गत सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1.00 लाख रुपये व राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। वर्ष 2013-14 में 33 व 2014-15 में 41 विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2015-16 में अनुप्रति योजनान्तर्गत 110 अभ्यर्थियों को राशि रुपये 3015000/- का वितरण किया जावेगा।

छात्रावास:-

अल्पसख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को सभी जिला मुख्यालय एवं अल्पसख्यक बाहुल्य क्षेत्रों वाले ब्लॉक स्तर पर छात्रावास की सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है।

विभाग द्वारा बालिका छात्रावास जयपुर में संचालित किया जा रहा है। शिप्रापथ मानसरोवर स्थित बालिका छात्रावास में 100 बेड की क्षमता है। विभागीय छात्रावास बीकानेर में 50 बेड की क्षमता है।

अल्पसख्यक बाहुल्य जिला/ब्लॉक्स में छात्रावास संचालन के लिए NGO को अधिकृत किया जाकर रुपये 1900/- प्रति विद्यार्थी प्रति माह के आधार पर अधिकतम साढ़े दस माह की अवधि के लिए अनुदान दिया जाता है।

वर्ष 2014-15 में 14 छात्रावास संचालित किए गए। वर्ष 2015-16 में 35 छात्रावास NGO के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें बालकों की संख्या 893 एवं बालिकाओं की संख्या 437 है।

जोधपुर एवं कोटा मुख्यालय पर बालिका एवं फतेहपुर (सीकर) तथा रामगढ़ (अलवर) में बालकों के लिए छात्रावास निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। इस हेतु राशि रुपये 938.77 लाख का व्यय किया जावेगा। एमएसडीपी योजनान्तर्गत ब्लॉक रामगढ़ एवं किशनगढ़वास में बालिका छात्रावास, ब्लॉक कामां व सम में 01-01 बालक-बालिका अल्पसंख्यक छात्रावास अर्थात कुल 06 बालक-बालिका छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। टोंक कस्बे के राजकीय यूनानी महाविद्यालय में बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :-

केन्द्रीय प्रवर्तित बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम एस डी पी) अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य 08 जिलों के 10 ब्लॉक्स लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़वास, रामगढ़, तिजारा (जिला अलवर), नगर, कामां (जिला भरतपुर), चौहटन (जिला बाड़मेर), हनुमानगढ़ (जिला हनुमानगढ़), सम एवं साकड़ा (जिला जैसलमेर) तथा तीन कस्बे (मकराना, गंगापुर सिटी एवं टोंक) शामिल किये गये हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य को एमएसडीपी योजनान्तर्गत आधारभूत संरचना अन्तर्गत राशि रुपये 98.13 करोड़ का आवंटन किया गया, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक राशि रुपये 133.00 करोड़ के 428 निर्माण कार्य एवं साईबर ग्राम योजनान्तर्गत 10,400 बालक /बालिकाओं (कक्षा 6 से 10 तक) को डिजिटल साक्षर करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

योजनान्तर्गत निम्न निर्माण कार्यों हेतु राशि स्वीकृत की गई है।

S.No	Description	Sanc. No	S.No	Description	Sanc. No
1	ACR-RMSA	125	2	Comp. Room-RMSA	17
3	Library-RMSA	41	4	Sc. Lab-RMSA	40
5	ACR-SSA	61	6	Pry School Building-SSA	6
7	College Building	2	8	ITI	9
9	PHC	14	10	SHC	37
11	CHC	1	12	Labour Room	4
13	Nursing College	2	14	AWC	62
15	Hostel-Girls	4	16	Hostel- Boys	2
17	Girls Hostel-Unani College	1			
	Total	428			
18	Cyber Gram	10400			

अल्पसंख्यक युवाओं को व्यवसाय व शिक्षा के लिए ऋण :-

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जयपुर की स्थापना राजस्थान सरकार व भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात मुसलमानों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों, पारसी तथा जैन वर्ग के गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए की गई है।

इन वर्ग के व्यक्ति जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 81,000/- रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 103000/- रुपये से कम हो एवं जिनकी आयु व्यवसायिक ऋण हेतु 18 से 54 वर्ष एवं शैक्षणिक ऋण हेतु 16 से 32 वर्ष से अधिक न हो, को स्वरोजगार एवं कार्यक्षमता उन्नयन हेतु रियायती ब्याज दर (6 प्रतिशत व्यवसायिक ऋण तथा 3 प्रतिशत शैक्षणिक ऋण हेतु) पर स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

इसी प्रकार व्यवसायिक ऋण में महिला, बी.पी.एल. वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। पारदर्शी तरीके से ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण कर फरवरी, 2016 तक 57.45 करोड़ रुपये के ऋण से 11172 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

समय पर ऋण चुकाने पर पुरुषों को कारोबार व शैक्षणिक ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत तथा महिलाओं को सम्पूर्ण ब्याज की छूट दी जाती है।

फ्री-कोचिंग एलाईड स्कीम:-

भारत सरकार के द्वारा फ्री कोचिंग और एलाईड योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परिक्षाओं, प्रवेश परिक्षाओं हेतु कोचिंग प्रदान करना है।

योजनान्तर्गत तकनीकी व व्यवसायिक कोर्स जैसे- इंजनियरिंग, लॉ, मेडिकल, इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी, विदेशी यूनिवर्सिटी में प्रवेश हेतु भाषा/एप्टीट्यूड की प्रतियोगी परीक्षा, पुलिस सुरक्षा, रेल्वे, बैंक, बीमा कम्पनी के साथ-साथ स्वायत्त शासन संस्थाओं सहित राज्य या केन्द्र सरकार के अधीन ग्रुप ए, बी, सी, डी सेवाओं और इनके समान स्तर की अन्य सेवाओं के चयन के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, निजी क्षेत्र में एयरलाईन्स, शिपिंग, बिजनेस प्रोसेस, आउट सोंसिंग एवं अन्य आईटी के समकक्ष सेवा में ट्यूर्स एण्ड ट्रेवल्स, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल, सेल्स एवं मार्केटिंग, बायोटेक्नोलोजी, स्नातक एवं अधिस्नातक स्तर के छात्रों की शैक्षिक ज्ञान में बढ़ोतरी हेतु वैकल्पिक कोचिंग की व्यवस्था करना आदि शामिल है।

कौशल विकास प्रशिक्षण:-

राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कौशल विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में RSLDC के माध्यम से 1069 अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगारन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किये जाने का लक्ष्य है। आरएसएलडीसी द्वारा रिटेल, भवन निर्माण, सुरक्षाकर्मी, हॉटल, ऑटो रिपेयर, मार्केटिंग, आईटी, गारमेण्ट मेकिंग, मेडिकल एण्ड नर्सिंग हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, बैंकिंग एण्ड अकाउण्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स, ब्यूटी कल्चर, कृषि, एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग, कुरियर एण्ड लाजिस्टिक आदि से जुड़े आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मदरसा शिक्षा:-

राज्य में 3112 मदरसे पंजीकृत है। इनमें से 319 मदरसे उच्च प्राथमिक स्तर के है। मदरसों में दीनी तालिम के साथ आधुनिक शिक्षा के रूप में अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान आदि विषय की शिक्षा दी जा रही है।

पंजीकृत मदरसों में अध्यापन हेतु वर्तमान में 6163 उर्दू शिक्षा सहयोगी एवं 350 कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी कार्यरत है। जिनका मानदेय भुगतान राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मदरसों को दरी-पट्टी, फर्श-दरी, कम्प्यूटर्स, ग्रीन बोर्ड, शिक्षण सामग्री के रूप में चार्ट आदि वितरित किए जाते हैं।

हज कमेटी:-

हज यात्रा 2013-14 में 3985 एवं 2014-15 में 3747 हाजियों के लिए माकूल इंतजाम किए गए और हज यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाई गई। वर्ष 2015-16 में हज यात्रा हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर, लॉटरी के आधार पर राज्य के 35251 हाजियों को हज करवाया जायेगा।

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ:-

राज्य सरकार द्वारा कब्रिस्तानों की मरम्मत व सुधार हेतु इस विभाग को दी गई राशि दो करोड़ रुपये में से 31 प्रकरणों में राशि 190.36 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृत कार्यों में से 09 कार्य पूर्ण, 06 कार्य प्रगतिरत तथा 16 कार्य प्रक्रियाधीन है।

राज्य के समस्त तहसील मुख्यालयों पर स्थित वक्फ सम्पत्तियों के द्वितीय चरण की विडियोग्राफी के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि 81.73 लाख रुपये वक्फ बोर्ड को हस्तान्तरित की गई।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा ''दरगाह नरहड़ का सौन्दर्यकरण'' के संदर्भ में राशि 316.00 लाख रुपये की वित्त विभाग से सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई है।

अल्पसंख्यक आयोग:-

आयोग द्वारा पूरे राज्य में संभाग स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिससे राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को काफी राहत मिलती है।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर -15
फोन नं. 0141-2711978, 2711983
ईमेल : dirminority@gmail.com, ddjprdiv123@gmail.com वेबसाइट: www.minority.rajasthan.gov.in